

fa[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0.39/2018--केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 सितंबर, 2018

सा.का.नि. (अ)--केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 है ।
(2) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 22 के उपनियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील की गई सूचना का उत्तर देने के बजाए, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ शोध कर का पूरा संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** में आदेश पारित करेगा ।”।

- उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं है, किंतु प्रभारित कर की रकम के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्यांक और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट है तो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकेगा ।”।

- उक्त नियमों के नियम 55 के उपनियम (5) में, “या पूर्णतया नाकड-डाऊन स्थिति” शब्दों के पश्चात्, “या बैचों अथवा लाटों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

- उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (उ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(उ) “समायोजित कुल आवर्त” से, सुसंगत अवधि के दौरान--

(क) धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त का, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर ; और

(ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य-दर प्रदाय और सेवाओं के गैर-शून्य दर प्रदाय के आवर्त

के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें,--

(i) शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य ; और

(ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (4अ) या उपनियम (4आ) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है,

सम्मिलित नहीं है ।'।

6. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम, 23 अक्टूबर, 2017 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को,--

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1305(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदों का उपयोग किया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के फायदों का उपयोग नहीं करना चाहिए ।”।

7. उक्त नियमों के नियम 138क के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा फाइल किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01** के **भाग क** में प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित करेगा ।”।

8. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** के स्थान पर, निम्नलिखित **प्ररूप** रखा जाएगा, अर्थात् :--

“जीएसटी आरईजी-20

[नियम 22(4) देखें]

संदर्भ संख्या -

तारीख :

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/यूआईएन

कारण बताओ सूचना संख्या -

तारीख :

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण हेतु कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के जवाब में आपके द्वारा एआरएन, तारीख द्वारा फाइल किए गए उत्तर को निर्दिष्ट करें। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर विचार करने पर, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से रद्द की जाती हैं :

<< पाठ >>

या

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जारी की गई थी। चूंकि आपने पूर्वोक्त सूचना के जारी करने की तारीख को बकाया सभी लंबित विवरणियां फाइल कर दी हैं, और लागू ब्याज और विलंब फीस के साथ कर का पूर्ण संदाय कर दिया है, अतः रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर

< अधिकारी का नाम >

पदनाम

अधिकारिता

स्थान :

तारीख : "।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“जीएसटी आईटीसी-04

[नियम 45(3) देखें]

छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और उससे वापस प्राप्त माल/पूंजी माल के ब्यौरे

1. माल और सेवा कर पहचान संख्यांक --

2. (क) विधिक नाम -

(ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है -

3. अवधि : तिमाही - वर्ष -

4. छूटपूट कार्य के लिए भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे (जिसमें छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के कारबार के स्थान/परिसर पर सीधे भेजे गए इनपुट/पूंजी माल भी हैं) :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/अरजिस्ट्रीकृत छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार की दशा में राज्य	चालान संख्यांक	चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	कराधिय मूल्य	माल का प्रकार (इनपुट/पूंजी माल)	कर की दर %			
								केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5. छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त या छूटपूट कार्य के कारबार के स्थान से बाहर भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे :

(क) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से, जिसे ऐसा माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था, वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तारीख, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छूटपूट कार्य की प्रकृति	नुकसान और अपशिष्ट	
									यूक्यूसी	मात्रा
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(ख) छूटपूट कार्य करने वाले ऐसे कर्मकार से, जिसे मूल रूप से ऐसा माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था, भिन्न छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त इनपुटों/पूँजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तारीख, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छूटपूट कार्य की प्रकृति	नुकसान और अपशिष्ट	
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(ग) छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और तत्पश्चात् छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार के परिसर से प्रदाय किए गए इनपुटों/पूँजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक/छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	प्रमुख द्वारा जारी छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक संख्यांक	प्रमुख द्वारा जारी छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक की तारीख	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तारीख, जिसके अधीन माल छूटपूट कार्य के लिए भेजा गया था	छूटपूट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छूटपूट कार्य की प्रकृति	नुकसान और अपशिष्ट	
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11

अनुदेश :

1. एकल चालान के लिए मदों की बहु प्रविष्टियां भरी जाएं ।

2. उन मामलों में, जिनमें छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा नए चालान जारी करना अपेक्षित है, सारणी (क) और सारणी (ख) के स्तंभ 2 और स्तंभ 3 आज़ापक है ।

3. जहां छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए माल और छुटपुट कार्य के बाद प्राप्त माल के बीच आपस में पत्राचार संभव नहीं है, वहां सारणी (क), सारणी (ख) और सारणी (ग) के स्तंभ 7 और स्तंभ 8 न भरे जाएं ।

6. सत्यापन

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान :

तारीख

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आर-8 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

उपाबंध-क

वार्षिक विवरणी

“प्ररूप जी एस टी आर-9 (नियम 80 देखें) वार्षिक विवरणी						
पीटी. I	मूल ब्यौरे					
1	वित्तीय वर्ष					
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)					
पीटी. II	वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे (सभी सारणियों में रकम रुपये में)					
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संसंघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
4	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणी में जो घोषित कर के रूप में संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे					

क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)					
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड					

	प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					
ड.	समझा गया निर्यात					
च	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन समावेशित नहीं है)					
छ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
ञ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ट	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर					
ठ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय / कर					
ड	(उपर्युक्त झ से ठ) का आंशिक योग					
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)					

5 ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित कर संदेय नहीं है

क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय					
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय किया जाना है					
घ	छूट-प्राप्त					
ड.	शून्य रेटेड					
च	गैर – जी एस टी प्रदाय					

छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)					
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ञ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय					
ट	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय					
ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)					
ड	आवर्तन जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)					
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड -4छ)					

पीटी. III वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में आई टीसी के ब्यौरे

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/संसंघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6 वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में उपयोग किए गए आई टीसी के ब्यौरे

क	प्ररूप जी एस टी आर-3ख के माध्यम से उपभोग की गई निवेश कर प्रत्यय की कुल रकम (प्ररूप जी एस टी आर - 3ख के सारणी 4क कर कुल जोड़)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश			
		पूँजी माल			
		निवेश सेवाएं			
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और	निवेश			
		पूँजी माल			
		निवेश सेवाएं			

	आई टीसी का उपभोग किया गया है				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश			
		पूँजी माल			
		निवेश सेवाएं			
ड.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश			
		पूँजी माल			
च	सेवाओं का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से आवक प्रदाय छोड़कर)				
छ	आई एस डी से प्राप्त निवेश का प्रत्यय				
ज	अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुननिर्मित आई टी सी की रकम (उपर्युक्त ख से भिन्न)				
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से ज)				
ञ	अंतर (उपर्युक्त झ-क)				
ट	टी आर ए एन- I के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, यदि कोई हो)				
ठ	टी आर ए एन- II के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय				
ड	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी				
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)				
ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)				

7 वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में प्रतिवर्ती आई टी सी के और अपात्र आई टी सी के ब्यौरे

क	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 39 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ड.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टीआर ए एन – I प्रत्यय का उलटाव				
छ	टीआर ए एन – II प्रत्यय का उलटाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आई सी टी (उपर्युक्त क से ज)				
ञ	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी (6ण-7झ)				

8	सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी			
---	--------------------------------	--	--	--

क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
ग	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
घ	अंतर (क- ख +ग)				
ड.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई (घ में से)				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपयुक्त (घ में से)				
छ	मालों के आयात पर संदत्त आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				
ज	मालों के आयात पर उपभोग की गई आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त 6(ड.) के अनुसार	<आटो>			
झ	अंतर (छ-ज)				
ञ	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
ट	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने वाला कुल आई टी सी (ड. +च + ज)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी. IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में संदत्त कर के ब्यौरे			
				आई टी सी के माध्यम से संदत्त

9	विवरण	सं देय कर	संदत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						

	शास्ति					
	अन्य					

पीटी. V चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां

	विवरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध साख पत्र)					
12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

पीटी. VI अन्य जानकारी
15 मांग और प्रतिदाय का विवरण

	ब्यौरा	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत							

	प्रतिदाय							
घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ड.	कुल करों की मांग							
च	उपर्युक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपर्युक्त ड. में से लंबित कुल मांग							

16

धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रतियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया					

17

जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	सं देय मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18

आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	सं देय मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :-

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।

3. भाग II में वित्त वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है । भाग 2 में फाइल किए गए ब्यौरे वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा फाइल की गई विवरणियों में घोषित सभी प्रदायों का समेकन है । भाग 2 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमशः संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।

4ड.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात् वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्विस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है। इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा।
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ञ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ड) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ट और 4ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ड), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5घ, 5ड और 5च.	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा। "जिसे प्रदाय नहीं माना गया है" के मूल्य की भी घोषणा यहां की जाएगी।
5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ड और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।

5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ञ और 5ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी। इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है।

4. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाईल की जाती है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वतः यहां दिया जाएगा।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा। जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिर्वस किया गया था और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुनः दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।
6ग.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।
6ङ.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी

	4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6छ.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुनः दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ञ.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए ।
6ट.	प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ठ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ड	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहां घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इस स्तंभ में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा । प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया जाएगा।
8क.	वर्ष 2017-18 के दौरान और प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा । यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है ।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया जाएगा ।
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा ।
8ङ और 8च.	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । उस प्रत्यय को प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो उपलब्ध था किंतु जिसको नहीं लिया गया है या प्रत्यय को नहीं लिया गया क्योंकि वह पात्र नहीं था । दोनों पंक्तियों का

	कुल योग 8घ में के अंतर के बराबर होना चाहिए।
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
8ज.	सारणी 6ड में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया जाएगा ।
8ट.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी ।

5. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।

6. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की विवरणी में या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वतर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे ।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाईल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, को यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा ।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, फाईल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाईल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा ।

7. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं । भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है । इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावों के ब्यौरे नहीं है ।
15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य

	पर संदत्त करें का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धार 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए । यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है । यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है । माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं । मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है । सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा ।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

उपाबंध-ख

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क

(नियम 80 देखिए)

वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)

भाग. I		आधारिक ब्यौरे					
1	वित्तीय वर्ष						
2	जीएसटीआईएन						
3क	विधिक नाम	<स्व>					
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>					
4	वर्ष (.....सेतक) के दौरान संरचना स्कीम की अवधि						
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवर्त						
(सभी सारणियों में रुपए में रकम)							
भाग. II		वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में घोषित जावक और आवर्त प्रदायों के ब्यौरे					
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित कर संदेय है						
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						

ग	कुल					
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में घोषित प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे नोट/जमा पत्रों का योग) पर संदेय हैं					
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ग	सेवाओं का आयात					
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर संदेय शुद्ध कर					
8	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथाघोषित अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे					
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क से भिन्न)					
ख	माल का आयात					
भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथा घोषित संदत्त कर के ब्यौरे					
9	वर्णन	कुल संदेय कर	संदत्त			
	1	2	3			
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	विलंब फीस					
	शास्ति					
भाग IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां					
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग)					
11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग)					

12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग)							
13	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)							
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में की गई घोषणा के मद्दे संदत्त अंतरीय कर							
	वर्णन				संदेय		संदत्त	
	1				2		3	
	एकीकृत कर							
	केंद्रीय कर							
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
	उपकर							
	ब्याज							
भाग. V	अन्य जानकारी							
15	मांग और प्रतिदायों की विशिष्टियां							
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							
घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ड.	करों की कुल मांग							
च	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							
16	उलटा गया या उपभुक्त प्रत्यय के ब्यौरे							
	वर्णन				केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर
	1				2	3	4	5

क	संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया प्रत्यय (-)			
ख	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रत्यय (+)			
17	संदेय और संदत्त विलंब फीस			
	वर्णन	संदेय	संदत्त	
	1	2	3	
क	केंद्रीय कर			
ख	राज्य कर			

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

स्थान :

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :-

1. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
2. भाग I में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं । भाग I को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है । उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है ।

3. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं । भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए

	प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

4. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे ।

5. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं0	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा । इनमें गैर-माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे ।

15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाईल की जाती है ।

11. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी के ईडब्ल्यूबी-01 के टिप्पणों में क्रम संख्या 7 के नीचे सारणी के पहले स्तंभ में कोड-4 के सामने दूसरे स्तंभ में “एस.के.डी.” या “सी.के.डी.” अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “एस.के.डी. या सी.के.डी. या बैचों या लॉटों में आप्रदाय ” अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 29/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 6 जुलाई, 2018 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 611(अ), तारीख 6 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

